

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-08-04/2023(स्वा०).....1175(9)/

पटना, दिनांक:- 03.09.26

डॉ० (श्रीमती) नूतन वर्मा, प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल के विरुद्ध सदर अस्पताल, सुपौल में प्रसव हेतु आयी श्रीमती आरती कुमारी को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मृत्यु होने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-1310(9) दिनांक-16.12.2024 द्वारा डॉ० वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-218(9) दिनांक-11.03.2025 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० वर्मा द्वारा प्रत्युत्तर विभाग में उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-138(9) दिनांक-02.02.2026 द्वारा सिविल सर्जन, सुपौल से डॉ० वर्मा के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक-946 दिनांक-25.03.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि पंजी के अवलोकन में दिनांक-13.09.2023 को कुल 03 (तीन) शल्य क्रिया एवं 12 बन्ध्याकरण ऑपरेशन का कार्य डॉ० वर्मा द्वारा किया गया। चिकित्सा अधिकारी ऑन कॉल रजिस्टर के अवलोकन में दिनांक-13.09.2023 को डॉ० वर्मा को प्रायः 09:10 बजे के उपरान्त कॉल नहीं किया गया है, जबकि प्रसूता दिनांक-13.09.2023 को 11:55 अपराह्न में रेफरल अस्पताल राघोपुर से रेफर होकर सदर अस्पताल, सुपौल आयी। डॉ० वर्मा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आपातकालीन विभाग में डॉ० वन्दन पूर्व से वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा रोगी को नहीं देखा गया, क्योंकि ईलाज के नाम पर चिकित्सीय पर्जी पर कुछ अंकित नहीं था। डॉ० वर्मा अस्पताल की उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थीं उन्हें संस्थान के प्रसव कक्ष में रोस्टर के अनुसार 24×7 चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए था ताकि प्रसूति के पहले या बाद में होने वाले आपातस्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकें, परन्तु प्रसव कक्ष में उनके द्वारा चिकित्सक के अनुपस्थित रहने के कारण समुचित चिकित्सीय अभाव में प्रसूता की अकाल मृत्यु हो गयी।

3. जिला पदाधिकारी द्वारा की गयी जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि डॉ० वर्मा द्वारा अस्पताल में कार्यरत अधीनस्त को सख्त हिदायत दी गयी थी कि रात्रि के समय उन्हें दूरभाष अथवा व्यक्तिगत रूप से परेशान न किया जाय जिसके कारण कर्मियों द्वारा प्रसूता के संबंध में उन्हें अधीनस्थों द्वारा रात में कोई सूचना नहीं दी गयी, जिसकी पुष्टि अस्पताल के कॉल रजिस्टर से होती है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त डॉ० वर्मा द्वारा सदर अस्पताल, सुपौल में प्रसव हेतु आयी श्रीमती आरती कुमारी, को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मृत्यु होने के प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

03/9/2026 कु०पृ०सं०

15

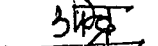
5. अतएव डॉ० (श्रीमती) नूतन वर्मा, प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।
6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


03/09/2024
(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email ज्ञापांक-9/आ0-08-04/2023(स्वा0) 1175(9)/ पटना, दिनांक:- 03.09.26
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/09/2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-08-04/2023(स्वा0) 1175(9)/पटना, दिनांक:- 03.09.26

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कोशी प्रमंडल, सहरसा/ सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव, सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० (श्रीमती) नूतन वर्मा, प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


03/09/2024
सरकार के अवर सचिव।

२